सेवाएं विभाग
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, सातवां तल, 'बी' विंग,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

अतारांकित प्रश्न संख्याः 128
दिनांकः 09.08.2017
प्रश्नकर्ता का नामः श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या दिल्ली सरकार की पिछले कई वर्षों से अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का मंशा रखती है; | दिल्ली मंत्रिमंडल ने निर्णय सं. 2223 दिनांक 06.10.2015 द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के नियमतीकरण से संबंधित निर्णय लिया था। तदानुसार दिनांक 19.10.2015 के सेवाएं विभाग के आदेश द्वारा सभी विभागों से आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने और दिनांक 06.10.2015 के मंत्रिमंडल के निर्णय सं. 2223 को लागू करने का अनुरोध किया ।<br><br>तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 5888/2015 के संदर्भ में दिनांक 04.08.2016 में दिये गये निर्णय द्वारा जहां कहीं भी आवश्यक हो, सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि नीति संबंधित सभी निर्णयों की फाइलें सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय, जोकि बिना अनुमति के लिए गये हैं। दिनांक 21.05.2015 की अधिसूचना जोकि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा भी अनुमोदित की गई है, के अनुसार 'सेवायें' एक आरक्षित विषय है और माननीय उप राज्यपाल दिल्ली इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिये सक्षम प्राधिकारी है। अनुबंधित कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवाओं से संबंधित विषय है ।<br><br>यह निर्णय लिया गया है कि सेवायें विभाग इस संदर्भ में विधि विभाग और वित्त विभाग की सलाह अनुसार तथा भारत सरकार के नियमों और निर्देशों तथा न्यायिक निर्णयों के अनुसार इस विषय का परीक्षण करेगा । |
| ख | यदि हाँ, तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, स्पष्ट करें | |
| ग | क्या दिल्ली सरकार जब तक यह कर्मचारी नियमित नहीं हो जाते उनको अपने जीवन यापन में कठिनाई न हो, उनको 'समान कार्य, समान वेतन' के आधार पर तुरन्त प्रभाव से वेतन देने की इच्छा रखती है; | अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन देने संबंधित निर्णय दिल्ली सरकार का सम्बद्ध विभाग लेता है । फिर भी वित्त विभाग ने अनुबंधित कर्मचारियों के समेकित भुगतान देय से संबंधित अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.01.2017 द्वारा नियम निर्धारित किया है जो शब्दशः अधोलिखित हैः<br>''सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 16.08.16 के एंडोसर्मेंट के परिणामस्वरूप, संविदा के आधार पर पदस्थापित व्यक्तियों, जिनकी संविदा दिनांक 16.08.2016 अथवा उसके |
| घ | यदि हां, तो ये आदेश कब तक लागू कर दिए जायेंगे; और | |

| | | |
|---|---|---|
| ङ | यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? | बाद नवीनीकृत हो गया है (सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के एंडोसर्मेंट की तिथि), सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के अनुसार संशोधित की जा सकती है । अनुबन्ध के आधार पर स्वीकृत खाली पद पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत अनुबन्ध पर लगाये गये कर्मचारियों का वेतन 'न्यूनतम वेतन' या प्रथम स्तर के तालिका और उससे संबंधित श्रेणी एवं महंगाई भत्ता के अनुसार तय की जायेगी जिससे कि अनुबंध के आधार पर लिये गये कर्मचारियों का समेकित भुगतान की समान दर निश्चित किया जा सके । यह भुगतान दर सेवा अनुबंध की समाप्ति तक समान रहेगी । तथापि यह समेकित भुगतान महंगाई भत्ते के पुनः निर्धारण के समय प्रत्येक बार नवीनीकृत होगा । |

(अश्विनी कुमार मेहता)
उप सचिव (सेवाएं)

ASHWANI KUMAR MEHTA
Dy. Secretary (Services)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02